

प्रारूप - 15
(सरकारी बचत संवर्द्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)
क्षतिपूर्ति-पत्र

सेवा में,
पोस्टमास्टर/प्रबंधक,

.....

.....

महोदय,

1. मृतक या इस संबंध में नियंत्रण संपदा शुल्क से प्रमाण पत्र (अंशदाता का नाम) के संपदा के बारे में प्रशासन संबंधी पत्रों या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना के नाम में आपके (लेखा कार्यालय का नाम) में (योजना का नाम) के तहत खाता संख्या में लंबित रूपए की राशि का मुझे/हमें भुगतान करने या भुगतान करने की सहमति पर विचार करने के लिए, कि संपदा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है या शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा अथवा कोई देय राशि नहीं है।
2. मैं/हम और (जमानतदार), स्वयं, संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग यह घोषणा करता हूँ/करते हैं और आपको एवं आपके उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की सहमति प्रदान करते हैं तथा ऐसे सभी दावों, मांग, कार्यवाहियों, नुकसान, क्षति, प्रभार एवं व्यय जो कि उक्त राशि को मुझे/हमें भुगतान करने या भुगतान की सहमति देने के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से आपके द्वारा किया गया है या उठाया गया है, के विरुद्ध कार्य करता हूँ।
3. जिसकी गवाही में, हमने मेरी/हमारी गवाही गवाहों की उपस्थिति में के इस दिन को ----- पर अपनी गवाही दी है।

मृतक के उक्त नाम वाले उत्तराधिकारी/
उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं डिलीवर्ड

उक्त नाम वाले जमानतदारों हस्ताक्षरित एवं डिलीवर्ड

1.

2.

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पते :

1.

2.

एटेस्टिड
नोटरी पब्लिक